



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 भाद्र 1942 (श0)
(सं0 पटना 527) पटना, बुधवार, 2 सितम्बर 2020

पत्र संख्या-11/आ०नी०-I-07/2017-7325/सा०प्र०
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राम शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/पुलिस महानिदेशक।
सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
कुल सचिव, सभी विश्वविद्यालय, बिहार।

पटना-15, दिनांक 25 अगस्त 2020

विषय :-

अनाथालय में रहने वाले/बेसहारा बच्चे जिनके माता-पिता की जाति एवं आवास की जानकारी उपलब्ध नहीं हो, की जाति, आवास एवं आय प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के अधीन ऐसे बेसहारा बच्चे, जो प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य त्रासदी के कारण अनाथ हुए हों, की जाति, आवास एवं आय प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत करने का मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था। इस संदर्भ में मामले की समीक्षा की गई तथा विधिक परामर्श भी प्राप्त किया गया।

अतएव भली-भाँति विचारोपरान्त अनाथ/बेसहारा बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिये गए हैं :-

- (i) अनाथालय अथवा सदृश्य संस्थाओं में पलने वाले अनाथ/बेसहारा बच्चे को यदि किसी परिवार अथवा दम्पति द्वारा गोद लिया जाता है, तो इस बच्चे की जाति इस परिवार के पुरुष सदस्य के जाति के आधार पर निर्धारित की जा सकेगी।
- (ii) गोद लेने वाले दम्पति के आवासीय पते के आधार पर ऐसे बच्चों का आवासीय प्रमाण-पत्र एवं परिवार के आय के आधार पर आय प्रमाण-पत्र निर्गत करने की व्यवस्था की जा सकेगी।
- (iii) अनाथालय अथवा सदृश्य संस्थान में पलने एवं इसी संस्था में व्यस्क हो जाने की स्थिति में इनकी जाति सामान्य कोटि में विनिश्चित की जा सकेगी।
- (iv) अनाथालय में आवासित बच्चों को यदि आवास प्रमाण-पत्र की आवश्यकता हो, तो इसे अनाथालय, जिसमें अनाथ बच्चा आवासित हो, का पता अंकित करते हुए निर्गत किया जा सकेगा।
- (v) अनाथालय छोड़ चुके व्यस्क सदस्य (गोद लिये जाने वाले बच्चों से भिन्न मामलों में) की जाति सामान्य कोटि में विनिश्चित की जा सकेगी एवं इनके आय एवं आवासीय प्रमाण-पत्र इनके स्वयं के आय एवं यथास्थिति अस्थायी अथवा स्थायी आवासीय प्रमाण-पत्र इनके वर्तमान आवास के आधार पर निर्गत किया जा सकेगा।

अतः अनुरोध है कि संबंधित प्राधिकार इस आधार पर अग्रेतर कार्रवाई करें तथा इस आशय की सूचना अपने अधीनस्थ कार्यालय एवं अधिकारियों को भी संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
राम शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 527-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>